उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 79/2019/1185/92-2-2019-28जांच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 04 जून 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद अमेठी के विकास क्षेत्र बहादुरपुर जायस तहसील तिलोई में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित कराये गये कम्पोजिट विदयालय सैदाना को कार्य पूर्ति के उपरान्त संबंधित विभाग को अत्यन्त विलम्ब से हस्तानान्तरित किये जाने हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-79/2019/1185(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-745/ ग्रा0अ0वि0/नि0जांच/शि0-अमेठी/पत्रा0-04/18-19 दि0 08-03-2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री वीरेन्द्र कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर शासन को 03 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-अमेठी।

4- श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in